

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या 339/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 25 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) एवं धारा 16 की उपधारा (1) सपटित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21(1904 का 1) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित, अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

3	4	5
<p>“ (vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई सेवा , -</p> <p>(क) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग वाणिज्य, उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न हो;</p> <p>(ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii) रोग-नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो; अथवा</p> <p>(ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं ।</p> <p>(vii) उपर्युक्त (i),(ii),(iii),(iv),(v) एवं (vi) से भिन्न विनिर्माण सेवाएं</p>	6	-
	9	-”

2. यह अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं० ४३९/२०१७/९(१२०)/XXVII(८)/२०१७ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-८ में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3—विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4—अपर सचिव, वित्त-८, उत्तराखण्ड शासन।
- 5—एन०आई०सी०
- 6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 25 October, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 525/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated:: 25 October, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following, further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8 No.525/2017/9(120) /XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017 namely:-

1. In the said notification, in the Table, against serial number 3, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
<p>“(vi) Services provided to the Central Government, State Government, Union Territory, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of –</p> <p>(a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession;</p> <p>(b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or (iii) an art or cultural establishment; or</p> <p>(c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in paragraph 3 of the Schedule III of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017.</p>	6	-
<p>(vii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.</p>	9	-”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 21st day of September, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary